फेडरल, स्टेट व न्यू यॉर्क सिटी द्वारा

# संकटकालीन सहायता

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घोर विपत्ति में
11 सितम्बर, 2001 को प्रभावित लोगों एवं कारोबार के लिए

*यदि आपको रहने या आने-जाने के लिए सहायता चहिए,* निजी संपत्ति को क्षति हुई हो, कारोबार या रोजगार संबंधी नुकसान हुआ हो तो आप फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी से संकटकालीन सहायता पाने के पात्र हैं

**FEMA** से संपर्क करें : **1-800-462-9029**

*(टीटीवाय 1-800-462-7585)*

*सवेरे 8 बजे – रात्रि 8 बजे* *सप्ताह के 7 दिन*

यदि आपका दवाई, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, दाह संस्कार पर खर्च हुआ हो, अपने या पालनकर्ता के *घायल या पालनकर्ता के मृत हो जाने के कारण* आप की हानि हुई हो तो आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के क्राइम एक्ट के अंतर्गत सहायता के पात्र हो सकते हैं।

न्यू यॉर्क राज्य के क्राइम विक्टिम्स बोर्ड से संपर्क करें :

**1-800-247-8035**

*(टीटीवाय 1-888-289-9747)*

*24 घंटे प्रतिदिन* *सप्ताह के 7 दिन*

09/21/01 Hindi